

**Form No. III**  
**फर्द अहकाम**  
**(नियम 26)**

ल नंबर

अधिकारी उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला-अलवर

प्रकरण सं. 24/1.25 बनाम चैतन्य 470  
तारीख रजू 15.1.25

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ |
|------------|--|---------------------------------|
| 15.1.25    | <p>वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 दर्ज रजिस्ट्रर हो। अप्रार्थीगण/ गैरसायलान को जयें रजिस्टर्ड डाक नोटिस तलब हो। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक <u>29.1.25</u> को पेश हो।</p> <p align="right">उपखण्ड अधिकारी<br/>गोविन्दगढ़(अलवर)</p> |                                 |
| 29.1.25    | <p>पत्रावली उपर दुरे। वकीलवारी उपर/ नलीकी इतिहासी सचिन 2 वी नली से श्री मो. इनीय रवा इतिहासी वली वकीलवारी पेश किया। नलीकी इतिहासी सचिन 2 वली 24 25 वी वली नली इतिहासी 12.2.25 को पेश हो।</p> <p align="right">उपखण्ड अधिकारी<br/>गोविन्दगढ़ (अलवर) राज</p>   |                                 |
| 12.2.25    | <p>पत्रावली पेश। P.O. साहय <u>रुचि</u> <u>रुचि</u> है।<br/>पत्रावली दिनांक <u>13/25</u> को पेश हो।</p> <p align="right">उपखण्ड अधिकारी<br/>गोविन्दगढ़ (अलवर)</p>   |                                 |
| 5.3.25     | <p>पत्रावली उपर दुरे। वकीलवारी उपर वकीलवारी वली उमर उमर पेश वी। पत्रावली वली नली गोल/ नलीकी इतिहासी सचिन 2 वली 24 25 वी इतिहासी 24.3.25 को पेश हो।</p> <p align="right">उपखण्ड अधिकारी<br/>गोविन्दगढ़ (अलवर)</p>   |                                 |

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ जिला अलवर

~~15.7.25~~

बनाम

~~31.7.25~~

प्रकरण सं. 31/4/2025

तारीख रजू

15.01.2025

| तारीख हुक्म    | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ |
|----------------|---|---------------------------------|
| <u>15.7.25</u> | पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वाले तलबी अस्थि मोबा डिपेंड 31.7.25 को पेश की।   |                                 |
| <u>31.7.25</u> | पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वाले पत्रावली वाले जवाब करीबी अस्थि एप रोष अस्थि विण की तलबी हेतु लिंक 20.8.25 को पेश की।  |                                 |
| <u>20.8.25</u> | पत्रावली पेश हुई। तलबी वाली अस्थि विण पत्रावली दीक्षावधि से अस्थि विण की तलबी के विचारणीय हैं। तलबी हेतु पर्याप्त सिद्ध प्रमाण होने के बावजूद भी तलबी नहीं करायी गयी और बा ही तलबी हेतु पुनः तलमान पेश किया गया है। अतः कार्यना पत्र -212 RTI सिविल प्रक्रिया स्थिति के आदेश 9 नियम 05 के अन्तर्गत तलबी व तलमान के अन्तर्गत स्थापित किया जाता है। पत्रावली केसल शूमार होकर नम्बर से पत्रावली बाद तलबील तलबील स्फर हो। |                                 |

उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०